

फर्ड अहकाम

(नियम 26)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावडी

मानि देवी

बनाम

राज. सरकार

131, 136 RLR Act

128/2020

सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए06
2020वादी/प्राथी/अपीलान्त न एक वर/प्रार्थना पत्र/
प्राथीत किराड प्रविष्टीगण/अप्राथीगण/
रिपॉर्टिंग/अप्रीगण/अप्रीगण/अप्रीगण/अप्रीगण
केटा गया।रिपॉर्टिंग/अप्रीगण/अप्रीगण/अप्रीगण/अप्रीगण
करी जाई जाई जाई जाई जाई जाई जाई जाई जाई
दिनांक 10/07/2020 को पेश होसहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावडी10
2020केविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार के
निर्देशों की पालना में कोर्ट कार्यवाही स्थगित
रखी गई थी जिसे राज्य सरकार के मार्गदर्शन
के बाद पुनः जारी की जाई जाई जाई जाई जाई जाई
दिनांक 6/10/2020 को पेश हो।सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावडी06
2020पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथी उपस्थित।
तहसीलदार बावडी से मौका रिपोर्ट अप्राप्त।
पत्रावली वास्ते इंजार् मौका रिपोर्ट दिनांक
16/10/2020 को पेश हो।सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावडी16
2020पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथी गण उपस्थित।
वकील प्राथी द्वारा निवेदन किया गया कि
तहसीलदार बावडी से मौका रिपोर्ट प्राप्त
हो चुकी है। पत्रावली में तहसीलदार बावडी द्वारा
प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को शामिल मिसल किया
गया।

128/2020-2



तकील प्रार्थी की बहस को सुना गया।
तकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी
गण के नाम से वर्तमान ऑनलाइन
जमा बंदी में खसरा नं. 324/3
खसरा 02 हैक्टैमर है व वर्तमान ऑन
लाइन नम्बों में खसरे सं. 324, 324/1,
324/2, 324/3, 324/4, 324/5 की
तरमीम वर्तमान ऑनलाइन राजस्व रिकॉर्ड
के नम्बों में तरमीम है जो गलत है जिसे
दुरुस्त किया जावे तथा वकील प्रार्थी ने
निवेदन किया कि तहसीलदार बावड़ी
द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी
प्रार्थी के अनुलौष अनुसार 9 तरमीम
दुरुस्त करने की अनुशंसा की गई है।

मौका रिपोर्ट में भी खसरा नं.
324, 324/1, 324/2, 324/3 व
324/4 को नजरी नम्बों में दर्शाये अनु
सही करने की व खसरा संख्या 324/5
एवं 324/2 को पुनः विलय कर खसरा
संख्या 324/4 को मौका रिपोर्ट के नजरी
नम्बों के अनुसार तरमीम करने का निवेदन
किया।

तकील प्रार्थी गण की बहस सुनी गयी व वकील
प्रार्थी भूमिधारक तहसीलदार बावड़ी से
प्राप्त मौका रिपोर्ट का ज्ञान पूर्वक
अवलोकन किया गया जिसमें ऑनलाइन
राजस्व रिकॉर्ड के नम्बों में अशुद्धि होना
पाया गया जिसे दुरुस्त करने की अनुशंसा
की भूमिधारक तहसीलदार ने की है एवं
उक्त सम्बन्ध में पूर्व में भूमिधारक तहसील
दार द्वारा प्रकरण संख्या 383 दिनांक

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

लगातार-3

3.05.2019 में राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शों के ऑनलाईन रिकॉर्ड की किन्नता को दुरुस्त करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया था जिसमें उक्त प्रकरण को रिकॉर्ड दुरुस्ती हेतु निस्तारित किया गया था।

चूंकि उक्त प्रकरण में खसरा नं. 324, 324/1, 324/3 एवं 324/4 की तरमीम का कोई हवाला नहीं दिया गया था। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त पर उक्त प्रकरण का पुनरावलोकन किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बावड़ी को आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शों में तरमीम की जावे। तहसीलदार बावड़ी की मौका रिपोर्ट इस आदेश का भाग (अंग) मानी जावे। इस आदेश की तहरीर तहसीलदार बावड़ी को जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

बावड़ी (मू. अ.) बावड़ी (जोधपुर)
 नं. 3/5/2/38

दि. 14/10/2020


उपरोक्त उपखण्ड अधिकारी,
 बावड़ी (जोधपुर)

विषय: मौका जांच रिपोर्ट सु.न. 128/2020 द्वारा 136
 RLR अनवाना: श्री गुरु बंनाराज राज सरकार
 जय तहसीलदार, बावड़ी


इसका: श्रीमान के पताके कोर्ट दि. 13/10/2020
 के क्रमा सं. 3599

महोदया: उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पता में तहसीलदार
 रिपोर्ट निम्न प्रकार है -

(1) वर्तमान ON-Line नक्शे में तहसील निम्न है।



(2) उक्त ON Line नक्शे में ख.न. 324, 324/1, 324/2,
 324/3 व 324/4 को स्थिति सही है एवं मौके पर भी
 यही स्थिति है।



ख.न. 324/5 एवं 324/2 को पुनः कालाया करने एवं
 ख.न. 324/4 को उक्त नक्शे अनुसार सुट्ट करने का अभिवांछा
 की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी के आदेश क्र. 383 दि. 3/5/19
 के अनुसार एवं में अलग नम्बर दिए थे, जिस विषय करने का
 अभिवांछा की जाती है

तहसीलदार (मू. अ.)
 बावड़ी (जोधपुर)